प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 68

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	40.00	40.00	...	38.75	38.75	...	55.00	55.00
पूंजी		...	*10.00*	*10.00*	...	*1.25*	*1.25*	...	*10.00*	*10.00*
जोड़		**...**	**50.00**	**50.00**	**...**	**40.00**	**40.00**	**...**	**65.00**	**65.00**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	15.00	15.00	...	14.00	14.00	...	16.00	16.00
2. विदेश कार्य										
2.1 अंतराष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें	2061	...	0.30	0.30	...	0.10	0.10	...	1.00	1.00
2.2 मनोरंजन प्रभार	2061	...	0.25	0.25	...	0.20	0.20	...	0.25	0.25
2.3 अन्य व्यय										
क) अन्य योजनाएं	2061	...	18.45	18.45	...	18.95	18.95	...	31.75	31.75
ख) प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन	2061	...	6.00	6.00	...	5.50	5.50	...	6.00	6.00
कुल- विदेश कार्य		...	*25.00*	*25.00*	...	*24.75*	*24.75*	...	*39.00*	*39.00*
3. लोक निर्माण कार्य	4059	...	10.00	10.00	...	1.25	1.25	...	10.00	10.00
कुल जोड़		***...***	***50.00***	***50.00***	***...***	***40.00***	***40.00***	***...***	***65.00***	***65.00***

1. **सचिवालय-सामान्य सेवाएंः** इसमें प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें विज्ञापन और प्रचार तथा संगोष्ठियां एवं अध्ययन आयोजित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **विदेश कार्यः**

2.1 **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ बैठकेंः** इसमें भारत में आयोजित विभिन्न बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/ बैठकों पर व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2.2 **मनोरंजन प्रभारः** इसमें भारत में आयोजित किए जाने वाले प्रवासी भारतीय समारोहों में आने वाले अथवा बैठकों एवं परिचर्चाओं के लिए भारत में आमंत्रित किए जाने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के मनोरंजन पर व्यय के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें दौरे पर आने वाले शिष्ट-मंडलों के स्थानीय आतिथ्य सत्कार पर व्यय के लिए भी प्रावधान किया गया है।

2.3 **अन्य व्ययः** इसमें उन योजनाओं तथा परियोजनाओं पर व्यय के लिए प्रावधान किया गया है जो मंत्रालय अपने उद्देश्यों की अनुपालना में और प्रवासी भारतीय दिवस पर आयोजित होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए वर्ष के दौरान करेगा।

3. **लोक निर्माण कार्यः** यह प्रावधान प्रवासी भारतीय केन्द्र के निर्माण और विभिन्न राज्यों में स्थित उत्प्रवासी संरक्षकों के आठ कार्यालयों हेतु नए कार्यालय परिसरों के अधिग्रहण/खरीद के लिए है।